न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 135 / 2022 बउनवानी भौरीलाल जाटव बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर निवासी जाटव बस्ती रायपुर, तहसील वजीरपुर

GCMS No-2022/223

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.09.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

" दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान मे दिये गये प्रार्थना पत्र एवं जाटव बस्ती रायपुर की शमशान भूमि आवंटन करवाये जो निम्न प्रकार हैः–

1. जाटव बस्ती रायपुर को आबादी कन्वट करवाये जाने के कम में दिये गये प्रार्थना पत्र एवं जाटव बस्ती रायपुर के श्मशान को भूमि आवंटन करवाये जाने एवं अम्बेडकर परिसर पार्किंग कें लिए भूमि आवंटन।
2. पीएचईडी विभाग द्वारा वर्ष 2019–2020 मे की गयी दो हैण्डपम्प बोरिगं कहॉ लगवायी गयी उन पर आप द्वारा किये गये निर्णय की प्रति एवं 27 वर्ष सें वंचित जाटव बस्ती रायपुर की जनता जल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने जाने के निर्णय की प्रति।
3. पंचायती राज विभाग, (ए). सन् 2016 से जाटव बस्ती मे स्वीकृत की गयी मोटर टंकी बोरिगं को लगवाये जाने के आवंटन (बी). प्रधानमंत्री आवास सूची मे से वंचित 141 व्यक्तियों को जोडने (सी). अनुसूचित जाति विकास निगम के भरे गये 8 आवेदन फार्मो पर आज दिनांक तक लाभ नही दिलाये जाने हेतु (डी). जाटव बस्ती रायपुर मे मुख्य चोराहे पर कूडे की सफाई करवावे।
4. विधुत विभाग, न्यायालय द्वारा किये गये फेसले की 11 वर्ष बाद भी विभाग द्वारा पालना नही करने की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2022/1211 दिनांक 21.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1210 दिनांक 21.11.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 [illegible] को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना उपजि[illegible]क[illegible]टर वजीरपुर के पत्रांक 1210 दिनांक 21.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी [illegible] चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है [illegible] खारिज की [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]पील दाखिल अभिले[illegible] जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर